95 सूरए अत तीन

□ □□□□ □□-तिन **(At-Tin) —** आयत **1-5** की न्याय दर्शन के अनुसार समीक्षा

□ चयनित न्याय तत्त्व : प्रमाण **(Pramāṇa) +** हेतु **(Hetu) +** व्याप्ति **(Vyāpti)**

□ 1. Pratijna (प्रतिज्ञा):

इन्जीर, ज़ैतून, तूर सीनीन, और मक्का जैसे स्थानों की क़सम लेकर यह कहा गया है कि इंसान को श्रेष्ठ प्रकार से बनाया गया, परंतु फिर उसे गिरा दिया गया।

□ 2. Hetu (हेतु):

क़सम लेने का उद्देश्य कथन की गंभीरता और सत्यापन की मांग करना है।
कथन का कारण यह है कि मानव मूलतः श्रेष्ठ है, लेकिन सामाजिक-आर्थिक कारणों या कर्म के फलस्वरूप गिरता चला जाता है।

□ 3. Udaharana (उदाहरण):

a. न्याय दर्शन में प्रमाण की आवश्यकता होती है कि कोई वस्तु क्या है और उसका गुण क्या है।
यहाँ "इन्सान श्रेष्ठ कैड़े का" होना एक प्रमाणित तथ्य होना चाहिए।
परंतु:

- **सांख्य दर्शन (Sankhya Darshan) के अनुसार, जीव (पुंजी) मूलतः निर्विकार, शुद्ध और ज्ञानस्वरूप है, जो श्रेष्ठ है।**
- **गीता (2.20) कहती है कि आत्मा अमर है, नाश नहीं होती।**

फिर भी, यहाँ "इन्सान पस्त हो गया" की व्याख्या का कोई स्पष्ट तर्क नहीं दिया गया है कि कैसे और क्यों गिरावट आई।

⚖ 4. Upanaya (उपनय):

यदि यह कथन सत्य है कि इंसान श्रेष्ठ बनाया गया, तो इसका मतलब है मानव स्वभाव में एक उत्कृष्ट गुण होना चाहिए जो स्थायी हो।
लेकिन व्यावहारिक अनुभव में मनुष्य के गुणों में विविधता और पतन होता रहता है।
इस आयत में व्याप्ति और हेतु की कमी है क्योंकि गिरावट की व्याख्या तर्कसंगत और प्रमाणिक नहीं दी गई।

---

5. Nigamana (निगमन):

इस आयत में क़सम के साथ मानव के श्रेष्ठ और पस्त होने का दावा किया गया है, लेकिन इसका तात्त्विक और तार्किक आधार न्याय दर्शन के प्रमाण और हेतुओं के अनुरूप नहीं है।
इसलिए यह कथन वैश्विक, तर्कसंगत, और प्रमाणिक रूप में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

तार्किक समीक्षा सारणी :

आयत संख्या	न्याय तत्त्व	दोष या असंगति	विवरण
1-3	प्रमेय	क़सम का संदर्भ	प्राकृतिक वस्तुओं की क़सम, तात्त्विक प्रमाण नहीं
4	प्रमेय	सार्वभौमिकता का अभाव	इंसान की श्रेष्ठता का स्पष्ट प्रमाण नहीं
5	हेतु	गिरावट का कारण अस्पष्ट	मनुष्य के पतन की व्याख्या नहीं दी गई

□ अंतिम निष्कर्ष (Conclusion per Ayat):

□ आयत 1-3:

प्राकृतिक वस्तुओं की क़सम का उद्देश्य कथन की गंभीरता बढ़ाना है, परन्तु यह तात्त्विक प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता।

□ आयत 4:

"इन्सान श्रेष्ठ कैड़े का पैदा किया" – यह दावा न्याय दर्शन के प्रमाण के अनुसार अधूरा और असत्यापित है।

□ आयत 5:

"फिर उसे पस्त कर दिया" – यह गिरावट का कारण या प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई, अतः तर्कसंगत नहीं है।

समग्रतः, ये आयतें तर्कशक्ति और प्रमाण के मानकों पर खरे नहीं उतरतीं तथा मानव स्वभाव और स्थिति के बारे में गहन दार्शनिक विवेचना की कमी दर्शाती हैं।

□ □□□□ □□-तिन **(At-Tin) —** आयत **6-8** की न्याय दर्शन के अनुसार समीक्षा

□ चयनित न्याय तत्त्व : प्रमाण (Pramāṇa) + हेतु (Hetu) + व्याप्ति (Vyāpti) + निग्रह (Nigraha)

□ 1. Pratijna (प्रतिज्ञा):

जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, उनके लिए अनंत पुरस्कार है, और इन दलीलों के बाद रसूल को कौन सजा के दिन से इनकार कर सकता है? क्योंकि खुदा सबसे बड़ा न्यायाधीश है।

□ 2. Hetu (हेतु):

सकारात्मक कर्मों का फल अनंत इनाम के रूप में होना चाहिए, जो ईश्वरीय न्याय का परिचायक है।
रसूल की सच्चाई और अंतिम न्याय की पुष्टि इस आधार पर होती है।

3. Udaharana (उदाहरण):

- **न्याय दर्शन में प्रमाण की आवश्यकता है कि कर्मों के अनुसार फल मिलेगा।**
- **गीता (3.35) कहती है कि "श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ होता है।"**
- **परंतु, इस आयत में कर्मों के फल के संदर्भ में केवल घोषणा की गई है, कोई तर्क या प्रमाण नहीं दिया गया कि कैसे या क्यों ईमान और अच्छे कर्म फलदायी होंगे।**
- व्याप्ति **(Vyāpti) भी स्थापित नहीं है कि सभी अच्छे कर्मों का परिणाम सवाब होगा।**

⚖ 4. Upanaya (उपनय):

अगर कर्म का फल न्यायसंगत रूप से दिया जाता है, तो न्यायाधीश अर्थात् खुदा के गुण और न्याय की प्रकृति स्पष्ट होनी चाहिए।
परंतु आयत में "खुदा सबसे बड़ा हाकिम है" का कथन भी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना, केवल कथनात्मक है।

---

5. Nigamana (निगमन):

इस आयत में ईमान और अच्छे कर्मों के इनाम की बात कही गई है, परन्तु यह कथन न्याय दर्शन के हेतु और व्याप्ति के मानकों पर पूरी तरह स्थापित नहीं है।
इसके अतिरिक्त, "खुदा सबसे बड़ा हाकिम" होने का दावा भी अनुभव और तर्क से सिद्ध नहीं किया गया।
इसलिए, यह आयत तर्कसंगत और प्रमाणिक दृष्टि से अपूर्ण है।

तार्किक समीक्षा सारणी :

आयत संख्या	न्याय तत्त्व	दोष या असंगति	विवरण
6	प्रमेय, हेतु	कर्म और फल के बीच स्पष्ट संबंध का	ईमान और कर्मों का फल कैसे मिलेगा

		अभाव	**स्पष्ट नहीं**
7	**उपनय**	**दलीलों की पुष्टि का अभाव**	**रोज़े जज़ा से इनकार क्यों न करें, तर्क नहीं दिया**
8	**प्रमेय**	**न्यायाधीश का प्रमाणीकरण नहीं**	**"सबसे बड़ा हाकिम" दावा बिना प्रमाण के**

□ अंतिम निष्कर्ष (Conclusion per Ayat):

□ आयत **6:**

ईमानदार और नेक कर्म करने वालों के लिए अनंत इनाम का दावा तर्कसंगत प्रमाण के बिना केवल विश्वास पर आधारित है।

□ आयत **7:**

रसूल की सच्चाई और सजा के दिन की पुष्टि के लिए जो दलीलें दी गई हैं, वे व्यावहारिक तर्क और प्रमाण से लैस नहीं हैं।

□ आयत **8:**

खुदा को सबसे बड़ा न्यायाधीश बताना, बिना न्याय व्यवस्था के तार्किक प्रमाण के, दार्शनिक दृष्टि से अपूर्ण है।

समग्रत:, ये आयतें कर्म, न्याय, और ईश्वरीय न्यायाधीश की अवधारणा को केवल विश्वास के स्तर पर रखती हैं, जो न्याय दर्शन के तार्किक और प्रमाण आधारित तत्त्वों से मेल नहीं खाती।